आयोजनेत्तर

संख्या–661(1)/III (2)/05–25 बजट/2005

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तराँचल शासन।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनाँक 22 जून, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त अनुभाग– 1 के पत्र संख्या– 527ए/XXVII(1)/वित्त अनुभाग–1/05 दिनांक 26.04.2005 के अनुपालन में एवं आपके पत्र संख्या–741/06 बजट/(मार्ग/सेतु–अनु.)05–06 दिनांक 25.5.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान सं0–22 के अर्न्तगत प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु आयोजनेत्तर मद में प्राविधानित धनराशि में से रू0 1223.14 लाख (रू0 बारह करोड़ तेईस लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. (क) प्रस्तावित सूची में सबसे पुराने मार्गो को नवीनीकरण हेतु वरीयता दी जायेगी।

(ख) वर्तमान में जिन मार्गो की सतह अत्यन्त खराब हो तो उन्हें भी सम्मिलित किया जायेगा।

(ग) नवीनीकरण किये गये मार्गो की स्थिति 5 वर्ष से पूर्व खराब होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता, एवं अन्य अभियन्ताओं को सीधे रूप से जिम्मेदार समझा जायेगा। तथा नवीनीकृत किये गये कि0मी0 की सूची मुख्य अभियन्ता स्तर–1 एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि भौतिक सत्यापन कराया जा सके।

(घ) अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य नवीनीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का सी0सी0एल0 के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा,पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा, यह सुनिशचत कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय ऐसी चालू योजनाओ पर शासन की सहमति से प्रथमतः किया जायेगा जिसमे 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। जिन खण्डो मे 75 प्रतिशत या उससे अधिक के कार्य अवशेष नही है उन खण्डो मे 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किया जायेंगे, कार्यवार/खण्डवार आबंटन का संकलित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह मे उपलब्ध कराया जायेगा।

4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय,कार्य लोक निर्माण विभाग के मानको एवं तद्विषयक शासनादेशो के अनुरूप ही कराया जायेगा।

5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्कता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ-2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, कार्य की समयबद्धता व गुणवत्ता के लिये संबधित अधिशासी अभियन्ता उत्तरादायी होगें, तथा टेण्डर विषयक नियमों को भी अनुपालन किया जायेगा।

6. व्यय उन्ही मदों/योजनाओ पर किया जाय जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है । किसी भी दशा मे अन्य योजनाओं पर व्यार्वतन नही किया जायेगा,तथा स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार किशतो में कोषागार से आहरित किया जायेगा,कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता का दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

7. स्वीकृत धनराशि के पूर्ण अथवा 80 प्रतिशत की धनराशि के उपयोग के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी किशत आहरित की जायेगी,कार्य से संबंधित वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन को प्रत्येक त्रैमास के उपरान्त 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.06 तक उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक के अनुदान संख्या -22 लेखाशीर्षक 3054 सडक तथा सेतु-04- जिला और अन्य सडके-आयोजनेत्तर-337 सडक निर्माण कार्य-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत- 01 प्रदेश के मार्गो/पुलियो का अनुरक्षण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या- 577(1) / वित्त अनुभाग-3/05 दिनांक, 22जून, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-6610(1)/III (2)/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त गढवाल, कुमायू मण्डल पौडी/ नैनीताल।
3- सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय देहरादून।
4- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग।
4- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, देहरादून।
5- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6 - समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
7- मुख्य अभियन्ता गढवाल / कुमाऊ क्षेत्र लो.नि.वि./पौडी/ अल्मोडा।
8- वित्त अनुभाग-1/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन ।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

22060500l.Pdf